साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(बिहार सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013

अधिसूचना संख्या –Com/SBPDCL/ 89 / 2013 / 02 दिनांक 29.06.2013

विद्युत् उपभोक्ता एवं उपभोक्ता समूह के अनुरोध पर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड, निम्न विभव (LT) उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत् सेवा सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 1 जुलाई 2013 से 30 नवम्बर 2013 तक के अवधि के लिए Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 (VDLS-2013), बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता 2007, स्टैण्डर्स ऑफ परफोरमेन्स तथा विद्युत् अधिनियम 2003 के ततसंबंधी प्रावधानों के अधीन लागू करती है।

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 (VDLS-2013)

1. सामान्य प्रावधान

1.1 यह योजना Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 के नाम से जानी जायेगी।

1.2 यह योजना **01 जुलाई 2013 से 30 नवम्बर 2013** तक के अवधि के लिए पूरे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

1.3 यह योजना बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता, 2007, विद्युत् अधिनियम, 2003 तथा स्टैण्डर्स ऑफ परफोरमेन्स के प्रावधानों के अधीन होगी।

1.4 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड, उपभोक्ताओं के हित में अथवा संहितीय एवं विधिक प्रावधानों के तहत इस योजना में समय–समय पर वांछित बदलाव के लिए स्वतंत्र होगी।

1.5 सभी संशोधन उपभोक्ताओं को विभागीय सूचना/कंपनी के वेबसाईट, समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से दी जायेगी।

1.6 इस अधिसूचना की प्रति तथा योजना की विवरणी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं।

1.7 **परिभाषा :** इस योजना के लिए बिहार विद्युत् आपूर्ति अधिनियम 2007 में दी गई परिभाषा लागू होगी।

2. योजना के लाभ

2.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने परिसर के विद्युत् भार का आकलन खुद करते हुए तत्क्षण अपने अतिरिक्त विद्युत् भार को सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा नियमित करा सकता है।

2.2 इस योजना के अधीन इच्छुक उपभोक्ता को भार स्वीकृति के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में वृद्धि की अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी।

2.3 इस योजना के अधीन उपभोक्ता को अपने विद्युत् भार के वृद्धि के लिए कोई भी इंतजार नहीं करना होगा।

2.4 उपभोक्ता भूलवश अगर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर देता है तो ऐसे राशि का समायोजन कर लिया जाएगा।

3. अर्हताएँ

3.1 यह योजना **70 किलोवाट/99 एचपी से कम के** विद्युत् भार अथवा संविदा भार वाले सभी निम्न विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध है।

3.2 इस योजना के अधीन विद्युत् भार की वृद्धि **70 किलोवाट/99 एचपी से अधिक नहीं किया** जाएगा तथा यह उच्च विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

3.3 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा अतिरिक्त विद्युत् भार के लिए वर्ष 2013–14 के लिए प्रभावी टैरिफ आदेश के तहत देय विविध राशियों जैसे– मीटर रेन्ट, आवेदन शुल्क, जाँच एवं निरीक्षण शुल्क, मीटर के विस्थापन / पुर्नस्थापन का शुल्क पर्यवेक्षण मजूदरी तथा सर्विस कनेक्शन के लिए स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान अतिरिक्त सुरक्षा राशि एवं प्राक्कलित राशि के साथ करना होगा।

4. योजना की विवरणी

4.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बढ़े हुए विद्युत् भार अथवा बढ़ाये जाने की घोषणा विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान के साथ लाईसेन्सी के विभिन्न राजस्व संग्रहण काउन्टरों पर कर सकते हैं।

4.2 राजस्व काउन्टर द्वारा घोषणा–पत्र की द्वितीय प्रति पर प्राप्ति संबंधी अभियुक्ति दर्ज करते हुए उपभोक्ता को लौटा दिया जायेगा।

4.3 बढ़े हुए भार के अधीन निर्धारित अवधि में सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान एवं स्वघोषणा की प्रपत्र की प्राप्ति के साथ ही निम्न विभव उपभोक्ता का स्वीकृत भार स्वघोषणा के अनुरूप बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

5. देय अग्रिम शुल्क की विवरणी

5.1 अग्रिम शुल्क –

क्र0	विवरणी	आवेदन शुल्क (रू0 में)	प्रतिभूति राशि (रू0 प्रति किलोवाट)	निरीक्षण शुल्क (रू0 में)	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रू0 में)	कुल राशि (रू0 में)
1.	सिंगल फेज से सिंगल फेज. (घरेलू) (DS)	75	400	0	0	रू0 75 (Fixed) + 400 प्रति किलोवाट
2	सिंगल फेज से सिंगल फेज. (गैर घरेलू) (NDS)	75	1200	0	0	रू0 75 (Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
3.	सिंगल फेज से थ्री फेज (घरेलू) (DS)	200	400	200	900	रू0 1300(Fixed) + 400 प्रति किलोवाट
4.	सिंगल फेज से थ्री फेज (गैर घरेलू) (NDS)	200	1200	200	900	रू0 1300(Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
5.	थ्री फेज (DS) से थ्री फेज (NDS)	200	1200	200	900	रू0 1300(Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
6.	एलटीआईएस–I	300	1200 प्रति एचपी	200	0	रू0 500 (Fixed) + 1200प्रति एचपी

7.	एलटीआईएस–। से एलटीआई–।। (25 एचपी से 99 एचपी तक)	300	1200 प्रति एचपी	200	1500	रू0 2000(Fixed) + 1200 प्रति एचपी
8.	एलटीआईएस–।।	300	1200 प्रति एचपी	200	0	रू0 500(Fixed)+ 1200 प्रति एचपी

5.2 विभिन्न कोटि के उपभोक्ताओं द्वारा देय शुल्कों का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।

5.3 उन शुल्कों को जो उपभोक्ता के मामले में देय नहीं होगें उनका समायोजन उपभोक्ता के अगले विपत्र में कर लिया जायेगा।

5.4 साथ ही अगर उक्त मद में उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि वास्तविक राशि से कम होगी तब अन्तर राशि उपभोक्ता के अगले विपत्र में भारित कर दी जायेगी।

6. प्रपत्र-A [Form-A]

संबद्ध भार के स्वघोषणा का प्रपत्र

क्रमांक	विवरणी	
1	उपभोक्ता का नाम एवं पता	
2	उपभोक्ता के पति/पिता का नाम	
3	उपभोक्ता का पता	ग्राम/मुहल्ला/वार्ड– पंचायत– प्रखण्ड– जिला– राज्य–बिहार मोबाईल /टेलि0 नं0–
4.	उपभोक्ता संख्या /लेखा संख्या	
5.	उपभोक्ता की श्रेणी	
6.	विद्युत् कनेक्शन का उदेश्य	
7.	संबद्ध भार की विवरणी	

क्र0 संख्या	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति यूनिट	कुल के0डब्लू0/एच0पी0
(i)	बल्व		वास्तविक दर	
(ii)	ट्यूब लाईट 2'/4'		20/40 वाट	
(iii)	पंखा		60 वाट	
(iv)	टेप रिकॉडर या म्यूजिक सिस्टम		25 वाट	
(v)	वेक्यूमक्लीनर		250 वाट/ वास्तविक दर	
(vi)	टेलिविजन (क) रंगीन (ख) ब्लैक एण्ड ब्हाईट		100 वाट 60 वाट	

(vii)	मिक्सी		60 वाट/ वास्तविक दर	
(viii)	फ्रीज		200 वाट/ वास्तविक दर	
(ix)	कूलर		200 वाट/ वास्तविक दर	
(x)	हीटर (खाना बनाने या पानी गर्म के लिए)		1000 वाट / वास्तविक दर	
(xi)	वांशिग मशीन (बिना ड्रायर)		250 वाट/ वास्तविक दर	
(xii)	गीजर		1500 वाट/4000 वाट/वास्तविक दर	
(xiii)	माईक्रो ओभेन		2000 वाट	
(xiv)	एयरकंडिशनर (1 टन/1.5 टन/2 टन)		1500/2000/2250 वाट या वास्तविक	
(xv)	स्प्लीट एयरकंडिशनर 1.5 टन/2 टन		2250 वाट/ वास्तविक	
(xvi)	कम्प्यूटर		100 वाट	
(xvii)	प्रिन्टर		150 वाट	
(xviii)	वाटर लिफ्टींग पम्प सेट		375 वाट या वास्तविक	
(xix)	इन्वर्टर		शून्य	
(xx)	अन्य विद्युत् उपकरण जो उपर्युक्त में शामिल न हो			
a				
b				
c				

8.	कुल योग (एचपी/किलोवाट)	
9.	स्वीकृत भार (एचपी/किलोवाट)	
(i)	अतिरिक्त विद्युत् भार (एचपी/किलोवाट)	
(ii)	भुगतान किए गए अतिरिक्त राशि की विवरणी	
	कुल राशि(रू0 में) –	रसीद संख्या –

तिथि :

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

नोट :– 1. खाली सॉकेट प्वाईट / होल्डर को भार गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

2. कुलर, फ्रीज, टीवी, आयरन, ओवन आदि जो खराब है, विद्युत् आपूर्ति से संबद्ध नहीं है तथा कार्यरत नहीं है उन्हें भार गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. घरेलू उपभोक्ता के मामले में दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी माह के लिए गीजर तथा रूम हीटर के विद्युत् भार आंकलित किए जायेगें तथा अप्रैल से लेकर सितम्बर माह तक एयर कंडिशनर (बिना हीटर के) आंकलित किए जायेंगे। हीटर सहित एयर कंडिशनर के मामले में एयर कंडिशनर का कुल भार पूरे वर्ष के लिए आंकलित किया जायेगा।

4. किसी भी विद्युत् संबंध के लिए कम से कम 1 किलोवाट का विद्युत् भार आंकलित होगा तथा 500 वाट से कम का अंश निकटत्तम निम्नत्तम पूर्णांक तथा 500 वाट से अधिक भार उच्चत्तर निकटत्तम पूर्णांक पर आंकलित की जायेगी।

5. भार आकलन के लिए उपभोक्ता बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता, 2007 के अद्यतन एवं संशोधित प्रावधानों का प्रसंग एनेक्चर 4(1) में, कर सकते है।

6. आवेदन तथा देय शुल्क जमा करते ही अतिरिक्त विद्युत् भार स्वीकृत मानी जायेगी एवं बिलिंग उसी बढ़े हुए भार पर की जायेगी।

7- यह योजना केवल उपभोक्ताओं के सुविधा हेतु लागू की जा रही है। इसका नियमित भार जाँच के दौरान पायी जाने वाली विद्युत् चोरी अथवा अतिरिक्त भार से कोई लेना देना नहीं होगा। इस दौरान विद्युत् अधिनियम 2003, विद्युत् आपूर्ति कोड 2007 तथा अन्य सभी प्रभावी नियमों के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

ह0–

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)